

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय:-मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अंतर्गत संकर्म संविदा(वर्क्स कांट्रैक्ट) के संबंध में
संविदाकार(कांट्रैक्टर) को भुगतान से श्रोत पर कटौती।

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र सं०-ए-1-351/10-2011 दिनांक 30-8-2011 द्वारा समस्त प्रमुख सचिव, सचिव, उत्तर प्रदेश शासन एवं समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयध्यक्ष, उत्तर प्रदेश को पत्र प्रेषित किया गया है, जिसमें मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के हस्ताक्षर से जारी शासनादेश सं०-क०नि०-1503/ग्यारह-2-2010-9(199)/2010 दिनांक 15-10-2010 के साथ उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-34 के अधीन अधिसूचना संख्या-क०नि०-2-763/ग्यारह-9(12)/08-उ०प्र०अधि०-5-2008- आदेश-(7)-2008 दिनांक 04-3-2008 की प्रति संलग्न करते हुए विभाग से संबंधित अधिकारियों को वैट अधिनियम के अंतर्गत टी०डी०एस० के संबंध में उनकी विधिक जिम्मेदारी से स्पष्ट रूप से अवगत कराने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव द्वारा यह भी निर्देश दिए गए थे कि यदि आहरण एवं वितरण अधिकारी की त्रुटि से अर्थदण्ड अथवा ब्याजदेयता की स्थिति बनती है, तो उनके विरुद्ध वसूली की कार्यवाही की जाएगी।

शासन के पत्र में उल्लेख किया गया है कि राज्य सरकार को वांछित राजस्व की प्राप्ति सुनिश्चित करने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि वर्क्स कांट्रैक्ट के संबंध में सरकारी/गैर सरकारी विभागों/निगमों द्वारा कार्य हेतु टेण्डर प्राप्त करते समय यह देखा जाए कि संविदाकार फार्म वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत है एवं उसको विभाग द्वारा टिन नम्बर जारी किया गया है।

शासन द्वारा उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में जारी शासनादेशों के प्रभावी कार्यावन्धन हेतु यह निर्देश जारी किए गए हैं कि वर्क्स कांट्रैक्ट के संबंध में संविदाकार के बिलों के नियमानुसार भुगतान हेतु देयक कोषागार को प्रस्तुत करते समय अथवा चेक के माध्यम से सीधे धनराशि आहरित करने वाले विभागों/निगमों में चेक जारी करने से पूर्व आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा संबंधित देयक पर निम्नांकित प्रमाण-पत्र अंकित किया जाए :

“प्रमाणित किया जाता है कि संविदाकार (कांट्रैक्टर), जिसके वर्क्स कांट्रैक्ट के बिल के भुगतान हेतु धनराशि के आहरण हेतु यह देयक प्रस्तुत किया गया है, वाणिज्य कर विभाग में पंजीकृत/टिनधारक है एवं संविदा से संबंधित किए जा रहे भुगतान पर प्राविधानित कटौती कर ली गयी है”।

उपर्युक्त के संबंध में उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-34 एवं 35 में किए गए प्राविधानों के अंतर्गत अपने अधीनस्थ अधिकारियों से कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

(अनिल सन्त)

कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

पृ०प०सं० एवं दिनोंक उक्त ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- (1) सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन सचिवालय, लखनऊ।
- (2) निदेशक, राजस्व व विशिष्ट अभिसूचना, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ।
- (3) संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, सचिवालय, लखनऊ (दो प्रतियों में)
- (4) अध्यक्ष/निबन्धक, उत्तर प्रदेश वाणिज्य कर, लखनऊ एवं समस्त सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, वाणिज्य कर, उ०प्र०।
- (5) समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर वाणिज्य कर, उ०प्र०।
- (6) समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2, वाणिज्य कर, उ०प्र० मुख्यालय लखनऊ।
- (7) एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-2 (वि० नु०शा०/ अपील), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (8) समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक / वि० नु०शा०/ अपील / कारपोरेट) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (9) समस्त डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेंट कमिश्नर /वाणिज्य कर अधिकारी (क०नि० / वि० नु०शा० / स०द०) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (10) अपर निदेशक संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/सहायक निदेशक, वाणिज्य कर प्रशिक्षण संस्थान, गोमती नगर, लखनऊ।
- (11) महालेखाकार, 171ए अशोक नगर, इलाहाबाद।
- (12) वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी, सतर्कता अधिष्ठान, विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ।
- (13) प्रबन्धक, इसेटिव, पिकप, राणाप्रताप मार्ग लखनऊ।
- (14) समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (15) सीनियर डिप्टी एकाउन्टेन्ट जनरल, रेवेन्यू आडिट विंग, स्टेट आफिस आफ द ए०जी० डि० 11, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
- (16) विकास आयुक्त, नोयडा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन, सेक्टर 10 नोयडा।
- (17) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 /ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमि०/असिस्टेंट कमिश्नर, सर्वोच्च न्यायालय कार्य) गाजियाबाद।
- (18) एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1/ ग्रेड-2/ ज्वाइन्ट कमिश्नर/डिप्टी कमि०/असि०कमि०(उ०न्या०कार्य०) लखनऊ/इलाहाबाद।
- (19) मैअनुल अनुभागा/सूचना केन्द्र, नई इकाई अनुभाग को क्रमशः 5- 5 तथा 10 प्रतियों में।
- (20) विधि अनुभाग मुख्यालय को 50 प्रतियाँ।
- (21) समस्त अनुभाग अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय।
- (22) अध्यक्ष, उ०प्र० प्रदेश टैक्स एडवोकेट वैल फेयर एसो० 185/293 मीनाबाद रोड, गणेश गंज, लखनऊ।
- (23) अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, सी 15 माल एवेन्यू, लखनऊ।
- (24) श्री श्याम बिहारी मिश्र, उ०प्र० प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, 87/349 आर्या नगर, सगीत टाकिज के पीछे कानपुर।
- (25) श्री बनवारी लाल कंछल, अध्यक्ष, उ०प्र० प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, कंछल कुँज, 66, शास्त्री नगर, लखनऊ।
- (26) श्री संदीप बंसल, सदस्य राज्य स्तरीय व्यापार कर सलाहकार समिति, 29बी विधायक निवास दारुल-सुफा लखनऊ।
- (27) मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स, 14/26 सिविल लाइन्स कानपुर।
- (28) एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डो 2/302 विकास खण्ड 4/180 गोमती नगर लखनऊ।
- (29) पी एच डी चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डो 1 ए ला प्लास शाहनजफ रोड लखनऊ।
- (30) अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डो द्वारा ब्राइट बेबी साइकिल इण्डो ऐशबाग रोड, लखनऊ।
- (31) आल इन्डिया मैनुफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन डी-4 साइट संख्या 3 मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया गाजियाबाद।
- (32) कनफेडरेशन आफ इन्डियन इण्डो निराला नगर, लखनऊ।
- (33) राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सभी सदस्यों /सम्भागीय सलाहकार समितिके सदस्यों को सम्बंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य०) के माध्यम से।
- (34) प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10 इन्जीनियर्स काम्पलेक्स, सुल्तानपुर रोड, रायबरेली।
- (35) शिवकुमार अरोड़ा, एडवोकेट, महा सचिव, उ०प्र० टैक्स बार एसो० जमुना बिहार, एस०एस० कालेज रोड, खतौली, मुजफ्फरनगर।
- (36) श्री मदन मोहन भरतीया एडवोकेट, सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ०प्र० शासन 26/103 बिरहाना रोड कानपुर।
- (37) प्रो० डा० सुरेन्द्र नाथ डीन फैकल्टी आफ ला बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस।

- (38) प्रो० श्रीमती रंजना कक्कड़, 15 टैगोर टाउन इलाहाबाद ।
- (39) डा० छेदी लाल साथी, ए-5/1579 इन्द्रा नगर, लखनऊ ।
- (40) श्री बी०एन०राय, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि यू०पी०टैक्स बार एसो० 45 चन्द्रिका कालोनी, सिगरा वाराणसी ।
- (41) श्री अशोक धवन सी के -24/ 1 कुंजगली, चौक, वाराणसी ।
- (42) श्री नेकी राम गर्ग, अध्यक्ष पश्चिमी उर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, 707, पंचशील कालोनी, महाबीर चौक, मु०नगर ।
- (43) श्री पी०एस०जैन, 138 ए ब्लॉक ए सेक्टर 27 नोयडा ।
- (44) श्री ब्रित चावला महा सचिव, (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी) उ०प्र०ट्रक आपरेटर्स, फेडरेशन (रजि०), पुलदाल मण्डी सहारनपुर ।
- (45) आर०डी०गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद ।
- (46) श्री संतोष कुमार (पनामा), प्रदेश उपाध्यक्ष, भा०ज०पा०निवासी 60चाहचन्द इलाहाबाद ।
- (47) श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री, लोहा व्यापार मंडल उ०प्र० प्रदेश, 19 सुरेशबाग, कानपुर ।
- (48) इन्डियन इण्डोएसो०, 159/ए-8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मु०नगर ।
- (49) संयोजक, टैक्सेशियों एकेडमिक एण्ड वेलफेयर फोरम एसो, वेस्टर्न यू०पी०, 52, नगर निगम कम्पाउन्ड कैसरबाग रोड मेरठ ।
- (50) टैक्सेशन बार एसोसिएशन ट्रेड टैक्स बार रुम जयपुर हाऊस, आगरा ।
- (51) श्री मलिक विजय कपूर चेरमैन कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को०प० स्टेट लि० 51-बी उद्योग नगर कानपुर ।
- (52) श्री अनिल कुमार बंसल दि यू०पी०रोलर फ्लोर मिलर्स एसो० 3-एक्स, गोखले मार्ग लखनऊ ।
- (53) श्री दिनेश अरोरा उ०प्र० वनस्पति प्रोड्यूसर्स एसो० 51/58-ए शक्कर पट्टी कानपुर ।
- (54) श्री नन्द लाल उपाध्यक्ष उ०प्र० टेन्ट व्यापार एसो० 565/566 राजेन्द्र नगर लखनऊ ।
- (55) श्री हुलास राय सिंघल, प्रदेश अध्यक्ष, एफ-3, पार्क रोड, लखनऊ ।
- (56) श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय संगठन मन्त्री, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल, (पंजी०-बी-29, विधायक निवास, दारुल शफा, लखनऊ ।
- (57) माननीय अध्यक्ष, व्यापार कर सलाहकार समिति, सचिवालय, लखनऊ ।
- (58) श्री गोपाल अग्रवाल, राष्ट्रीय महामंत्री आल इण्डिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल, 27 ए मिशन कम्पाउन्ड मेरठ ।
- (59) श्री दिनेश चन्द्र माल, उपाध्यक्ष उ०प्र० कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए, उ० बी०एन०रोड, अमीनाबाद लखनऊ ।
- (60) अध्यक्ष, इण्डियन इन्डस्ट्रीज एसोसिएशन, विभूति खण्ड फेस 2 गोमती नगर लखनऊ ।
- (61) वैट लॉ जनरल 10 नगर निगम कम्पाउन्ड, कैसर गंज रोड मेरठ ।
- (62) वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल मण्डल उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (पंजी०) मण्डल कैम्प कार्यालय इमलीवला नोटरा सादाबाद गेट, हाथरस ।
- (63) सर्वश्री दि किराना मर्चेन्ट्स एसोसियेशन, 67/116 सेवा समिति भवन, केनाल रोड, कानपुर ।
- (64) श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अध्यक्ष उर प्रदेश टैक्सवार एसोसियेशन, सीताराम, आजमगढ़ (उ०प्र०)
- (65) श्री रमेश केसरवानी (प्रदेश सचिव) जिलाध्यक्ष, उ०प्र० उद्योग व्यापार मण्डल-22/26 आशादेवी मार्केट, खोया मण्डी इलाहाबाद ।
- (66) श्री मनोज कुमार गुप्ता, अध्यक्ष, राष्ट्रवादी उद्योग व्यापार मण्डल, सुभाषनगर, गली न०-6 गोपाल टॉकीज के पीछे बदायूँ ।
- (67) श्री मनीष शर्मा ला मैनेजमेन्ट हाऊस, आगरा- 15/5 राजनगर, गाजियाबाद ।
- (68) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिकेशन, आर०डी०सी०-51, राजनगर, गाजियाबाद ।
- (69) श्री बी०एन०शुक्ला, अध्यक्ष, यू०पी० पेट्रोलियम ट्रेडर्स एसोसियेशन, 103 बी प्रतिभा तीरथ एपार्टमेन्ट, 1 यूनिवर्सिटी रोड, लखनऊ ।

(बी०एन० द्विवेदी)
ज्वाइंट कमिशनर (विधि), वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ ।